


फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

भारतीय स्टेट बैंक बनाम मैसर्स भगवान सहाय कमलेश कुमार

प्रकरण संख्या 466/2019 ( धारा 14 सिव्योरिटाईजेशन एक्ट )

| दिनांक आज्ञा<br>या कार्यवाही | आज्ञा का विस्तृत रूप  | विशेष विवरण |
|------------------------------|---|-------------|
| 28.03.2022                   | <p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से काफी समय से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थी बैंक की ओर से प्रस्तुत धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज यथां हाईपोथीकेटेड सम्पत्ति की सूची एवं बिल/बाउचर आदि पेश नहीं किये गये हैं।</p> <p>अतः धारा 14 सिव्योरिटाईजेशन एक्ट-2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक बाद पूर्ति नये सिरे से प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p><br/>जिला मजिस्ट्रेट<br/>(कलक्टर) जयपुर</p> |             |